

पंजाब

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

सहायक को-3

2. वर्तमान धारित पद

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हैं **अनूप शर्मा**

अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1/7/18**

3. वर्तमान वेतन **36200/-**

(15)

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें उपस्थिति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा व्योरा		(3) भूमि	(4) **वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) आयुर्विध
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1) मोपाल (नीलवास)	(2) प्लॉट 1000 feet <sup>2</sup>	(3)	(4) 6,50,000/-	(5) स्वयं	(6) जिन्तो पट	(7) NPL	(8)	

\* जहां लानू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।  
 \*\*\* इसमें अलावा तीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुष्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा करें कि वह प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर: **अनूप शर्मा**  
 नाम: **अनूप शर्मा**  
 पद: **सहायक को-3**  
 दिनांक: **30/6/18**  
 पता: **पुस्तकालय विद्यालय को-3**